जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 17 / डी— 894 दिनांकः— 11-12-17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **140वीं बैठक दिनांकः 04.12.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		140:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 139वीं बैठक दिनांक 30.10.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 139वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 139वीं बैठक दिनांक 30.10.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 139 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये त्वरित पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	7	140:2	श्रीमती संतोष यादव पत्नी श्री जसराज यादव को जविप्रा की चित्रकूट आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 3/144 के साथ लगती हुई भू—पट्टी 13.5 वर्गमीटर भूमि के आवंटन करने बाबत।	श्रीमती संतोष यादव पत्नी श्री जसराज यादव को जविप्रा की चित्रकूट आवासीय योजना का भूखण्ड संख्या 3/144 क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 67.5 वर्गमीटर हो रहा है। उक्त भूखण्ड के साथ लगती हुई भू—पट्टी 13.5 वर्गमीटर भूमि का स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं होने के कारण स्ट्रीप ऑफ़ लैण्ड के आवंटन हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 3/144 में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 13.5 वर्गमीटर भूमि को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	8	140:3	श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा को निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार बी के भूखण्ड संख्या 6 में 51.39 वर्गगज (37 प्रतिशत) अतिरिक्त भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन—8 द्वारा श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा को निजी खातेदारी की आवासीय योजना नारायण विहार बी के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज में 51.39 वर्गगज (37 प्रतिशत) अतिरिक्त भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट के अनुसार मौके पर 190.27 वर्गगज उपलब्ध है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	12	140:4	श्री किशन लाल सामरिया को जविप्रा की आवासीय योजना बगरूग्रीन्स में आवंटित भूखण्ड संख्या 08 में निजी खातेदारी की भूमि आ जाने के कारण उक्त योजना में ही समान क्षेत्रफल व समान सड़क चौडाई पर उपलब्ध भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन—12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्री किशन लाल सामरिया को जविप्रा की आवासीय योजना बगरूग्रीन्स में भूखण्ड संख्या 08 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड के सामने 12 मीटर सड़क के स्थान पर निजी खातेदारी की भूमि है। उपायुक्त द्वारा उक्त योजना में ही समान क्षेत्रफल व समान सड़क चौडाई पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 65, 66, 72, 77, 81, 84, 92, 96, 99, 101, 104, 108, 111, 115, 116, 118, 122, 126 प्रत्येक क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बगरूग्रीन्स के भूखण्ड संख्या 8 के स्थान पर समान क्षेत्रफल व समान सड़क चौडाई पर उपलब्ध 33

उप सचिव (भू.नि.स.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
5.	12	140:5	श्री रामावतार शर्मा व श्री राकेश शर्मा को जविप्रा की मूर्तिकला नगर योजना ग्राम सिंवार तह. जयपुर में भूखण्ड संख्या 290 व 285 मौके पर उपलब्ध नहीं होने से योजना में उपलब्ध भूखण्डों 237A व 186A में से एक–एक भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि जविप्रा की मूर्तिकला नगर योजना ग्राम सिंवार तह. जयपुर में श्री रामावतार शर्मा को भूखण्ड संख्या 290 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर व श्री राकेश शर्मा को भूखण्ड संख्या 285 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। उक्त दोनों भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं है। अनुमोदित मानचित्र की जांच करने पर पाया गया कि भूखण्ड संख्या 186 व 237 के नाम से योजना में पहले से ही भूखण्ड सृजित व आवंटित थे, परन्तु जिस समय योजना की री–प्लानिंग की गई, उस समय भूखण्ड संख्या 186 व 237 के नाम से पुनः भूखण्ड सृजित हो गये। जिस कारण उक्त भूखण्ड 186 व 237 रिपीट हो गये। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या 290 व 285 के स्थान पर योजना में उपलब्ध भूखण्डों 237A व 186A में से एक–एक भूखण्ड आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 290 व 285 के स्थान पर योजना में उपलब्ध भूखण्ड संख्या 237A व 186A में से एक–एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय योजना की री–प्लानिंग के पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन के निर्णय के अध्यधीन होगा।
6.	12	140:6	साहित्य सदावर्त समिति, जयपुर को पूर्व में ग्राम राजावास तहसील आमेर में विश्वविद्यालय हेतु आवंटित भूमि मौके पर कम होने से 1. 58 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	एलपीसी की 122वीं बैठक दिनांक 08.02.16 में साहित्य सदावर्त समिति, जयपुर को ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. 251 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 254 रकबा 1.05 है., 255 रकबा 2.94 है., 256 रकबा 1.14 है., 257 रकबा 0.64 है., 258 रकबा 1.55 है., 259 रकबा 1.43 है., 260 रकबा 1.60 है., 261 रकबा 0.59 है. व 266 रकबा 1.20 है. कुल 12.26 हैक्टेयर में से खसरा नं. 255, 258, 259, 266 में से एक्जिस्टिंग रोड का 0.12 हैक्टेयर रकबा कम करते हुये 12.14 हैक्टेयर अर्थात 30 एकड भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–12 द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राजस्व नक्शे में व मौके पर उक्त खसरों का रकबा 11.61 हैक्टेयर ही है। साथ ही सड़क का क्षेत्रफल बढ़ने से मौके पर भूमि कम उपलब्ध होना बताया है। अतः मौके पर 0.65 हैक्टेयर भूमि कम रही है तथा प्रश्नगत भूमि में से 24 मीटर रोड से प्रभावित क्षेत्रफल 9318 व.मी. बताया है, जिसमें से 1200 वर्गमीटर पूर्व में Existing Road में चले जाने से व 30 मीटर MDP रोड से 1186 व.मी. क्षेत्रफल प्रभावित होता है। इस प्रकार 8116 वर्गमीटर (9318–1200 व.मी.) + 1186 वर्गमीटर कुल 9304 वर्गमीटर भूमि सड़क में चली गई है अर्थात संस्था को आवंटित भूमि का मौके पर क्षेत्रफल 1.58 हैक्टेयर कम हो रहा है। उपायुक्त द्वारा कुल कम रही भूमि के बदले में खसरा नं. 266 (मिन) रकबा 0.61 हैक्टेयर (0. 41 रकबा बरारी के अनुसार) हैक्टेयर व खसरा नं. 618 रकबा 3.45 हैक्टेयर में से 1.17 हैक्टेयर कुल 1.58 हैक्टेयर भूमि पूर्व आवंटन में शामिल किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक 3/2007 दिनांक 16.06.07 में ग्रामीण से संस्थानिक किया जा चुका है। **समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को पूर्व आवंटन के निर्णय में संशोधन कर मौके पर कम रही 1.58 हैक्टेयर**

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				भूमि की एवज में खसरा नं. 266 (मिन) व 618 में से कुल 1.58 हैक्टेयर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र में यह शर्त अंकित की जावे कि संस्था अपनी भूमि की बाउण्ड्रीवाल बनाते समय दोनों सड़कों (80 फीट एवं 100 फीट चौड़ी) की भूमि को कवर नहीं करेगा व रास्ता आमजन के उपयोग के लिए खुला रहेगा। उपायुक्त जोन यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्था को आवंटित भूमि के अनुरूप ही सिर्फ 30 एकड़ भूमि का ही कब्जा सुपुर्द किया जावे। उपायुक्त जोन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सड़क भी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जविप्रा के नाम पर दर्ज है।
7.	12	140:7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोता (बस्सी) हेतु खसरा नं. 351/1 के स्थान पर 351/2 में आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 135वीं बैठक दिनांक 06.07.17 में उपायुक्त जोन–13 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कानोता (बस्सी) हेतु ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 351/1 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 1500 वर्गमीटर (पूर्व में निर्मित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। पूर्व में प्रस्तुत एजेण्डा नोट में उपायुक्त द्वारा खसरा नं. 351/1 सहवन से अंकित कर दिया था। अतः उपायुक्त द्वारा खसरा नं. 351/1 के स्थान पर खसरा नं. 351/2 संशोधन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा 135वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 135:14 में खसरा नं. 351/1 के स्थान पर 351/2 प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।
8.	13	140:8	अधीक्षण अभियंता (ज.जि.वृ.), जेवीवीएनएल को राजस्व ग्राम चित्ताणुकलां तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 रकबा 13.54 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर भूमि आरक्षित करने बाबत।	एलपीसी की 124वीं बैठक दिनांक 26.05.16 में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को राजस्व ग्राम चित्ताणुकलां तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 रकबा 13.54 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर भूमि (आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर) आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, किन्तु वर्तमान में चरागाह भूमि के आवंटन पर प्रतिबन्ध है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग हेतु ग्राम चित्ताणुकलां तहसील आमेर के खसरा नं. 1181 में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन न की जाकर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
9.	13	140:9	मैसर्स ऑटो डिजल वर्कशॉप रिपेयरिंग जरिये श्री मंजूर अहमद कुरैशी को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–1/450 का क्षेत्रफल बढ जाने एवं प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेनें से इन्कार करने पर विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल 125.00 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	मैसर्स ऑटो डिजल वर्कशॉप रिपेयरिंग जरिये श्री मंजूर अहमद कुरैशी को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–1/450 क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड का मौके पर क्षेत्रफल 42.98 वर्गमीटर बढ गया है। अतः उपायुक्त द्वारा योजना में समान क्षेत्रफल व समान रोड चौडाई 13.5 मीटर पर स्थित भूखण्ड संख्या बी–1/439 क्षेत्रफल 125.00 वर्गमीटर विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–1/450 के स्थान पर समान रोड चौडाई व समान माप के भूखण्ड संख्या बी–1/439 का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
10.	13	140:10	सहवन से श्री सन्ता सिंह के नाम से एजेण्डा नोट एलपीसी में प्रस्तुत हो जाने के कारण मैसर्स दिल्ली गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जरिये श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह का नाम संशोधन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–13 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के आधार पर एलपीसी की 137वीं बैठक दिनांक 22.08.17 में श्री संता सिंह को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–2/474 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर 18 मीटर चौडी रोड के स्थान पर समान रोड पर भूखण्ड उपलब्ध न होने से 20.5 मीटर की रोड चौडाई पर समान माप के उपलब्ध 32 नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय

विकास प्राधिकरण, जयपुर

				करने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में निकाली गई लॉटरी में भूखण्ड संख्या ए–2/474 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–3/7–बी विनिमय किया गया। उपायुक्त जोन–13 द्वारा संशोधित आवंटन पत्र मैसर्स दिल्ली गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जरिये श्री मोहन सिंह के नाम जारी किया गया। अतः उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि पूर्व में प्रस्तुत एजेण्डा नोट में सहवन से श्री सन्ता सिंह का नाम दर्ज हो गया है। जिसमें मैसर्स दिल्ली गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जरिये श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी के 137वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 137:12 में श्री सन्ता सिंह के स्थान पर मैसर्स दिल्ली गुजरात ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जरिये श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह को भूखण्ड संख्या ए–3/7–बी का विनिमय पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।
11.	13	140:11	मैसर्स बत्रा रोडलाईन्स जरिये श्री निरंजन लाल बत्रा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–4/371 मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ जाने एवं प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेने से इन्कार करने पर विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर का भूखण्ड दिये जाने बाबत।	मैसर्स बत्रा रोडलाईन्स जरिये श्री निरंजन लाल बत्रा को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए–4/371 क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर 18 मीटर चौडी रोड पर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड मौके पर 61.50 वर्गमीटर बढ कर 271.50 वर्गमीटर हो गया है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड लेने से इन्कार कर अन्य भूखण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है। योजना में वर्तमान में 18 मीटर चौडी रोड पर कोई भूखण्ड रिक्त नहीं होने से 20.5 मीटर चौडी सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या ए–3/5ए, ए–3/5बी, ए–3/5सी, ए–3/5डी, ए–3/6, ए–3/6ए, ए–3/6बी, ए–3/6सी, ए–3/6डी, ए–3/7, ए–3/7ए, ए–3/7सी, ए–3/7डी, ए–3/8, ए–3/8ए, ए–3/8बी, ए–3/8सी, ए–3/8डी, ए–3/9, ए–3/9ए, ए–3/9सी, ए–3/9डी, ए–3/12, ए–3/12ए, ए–3/12सी, ए–3/12डी, ए–3/12ई, ए–3/12एफ, ए–3/12जी कुल 29 भूखण्ड में से एक भूखण्ड विनिमय करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–4/371 के स्थान पर समान रोड चौडाई पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से 20.5 मीटर की रोड चौडाई पर समान माप के उपलब्ध 29 नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
12.	13	140:12	मैसर्स गुलशन रोडलाईन्स जरिये श्री गुलशन नागपाल व 6 अन्य ट्रांसपोर्टर्स् के भूखण्ड मौके पर जे.सी.टी.एस.एल. को आवंटित भूमि से प्रभावित होने के कारण विनिमय में समान सड़क पर समान क्षेत्रफल 210.00 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने बाबत।	मैसर्स गुलशन रोडलाईन्स जरिये श्री गुलशन नागपाल, मैसर्स शिव शंकर ट्रांसपोर्ट सर्विस जरिये श्री भगवान सतवानी, मैसर्स अलवर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कम्पनी जरिये श्री गिरजा शंकर शर्मा, मैसर्स नमन फ्रंट केरियर्स जरिये श्री गुरनाम सिंह, मैसर्स सहारा रोडलाईन्स जरिये श्री जयकिशन शर्मा, मैसर्स यू.पी. गुजरात रोड लाईन्स जरिये श्री केवल सिंह, मैसर्स शर्मा रोडलाईन्स जरिये श्री भरत कुमार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में क्रमशः भूखण्ड संख्या ए–4/424, ए–4/425, ए–4/427, ए–4/428, ए–4/429, ए–4/430, ए–4/431 प्रत्येक क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर 18 मीटर चौडी सडक पर आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड मौके पर जे.सी.टी.एस.एल. को आवंटित भूमि से प्रभावित है। उक्त योजना में वर्तमान में 18 मीटर चौडी रोड पर कोई भूखण्ड रिक्त नहीं होने से 20.5 मीटर चौडी सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या ए–3/5ए, ए–3/5बी, ए–3/5सी, ए–3/5डी, ए–3/6, ए–3/6ए,

प्रति० उपायुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

				ए–3/6बी, ए–3/6सी, ए–3/6डी, ए–3/7, ए–3/7ए, ए–3/7सी, ए–3/7डी, ए–3/8, ए–3/8ए, ए–3/8बी, ए–3/8सी, ए–3/8डी, ए–3/9, ए–3/9ए, ए–3/9सी, ए–3/9डी, ए–3/12, ए–3/12ए, ए–3/12सी, ए–3/12डी, ए–3/12ई, ए–3/12एफ, ए–3/12जी कुल 29 भूखण्ड में से प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड विनिमय करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–4/424, ए–4/425, ए–4/427, ए–4/428, ए–4/429, ए–4/430, ए–4/431 के स्थान पर समान रोड चौडाई पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से 20.5 मीटर की रोड चौडाई पर समान माप के उपलब्ध 29 नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से प्रत्येक को एक–एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
13.	13	140:13	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ज.जि.वृत), जेवीवीएनएल, जयपुर को 33/11 केवी जीएसएस छापराडी के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर के खसरा नं. 940 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, 941 में से 5000 वर्गमीटर के स्थान पर 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 137वीं बैठक में ग्राम छापराडी में 33/11 केवी सब स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम छापराडी तहसील आमेर के खसरा नं. 117 में से 5000 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर राजस्व ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर के खसरा नं. 940 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नं. 941 रकबा 0.6200 हैक्टे. किता 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–13 द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (ज.जि.वृत), जेवीवीएनएल, जयपुर को 33/11 केवी जीएसएस छापराडी के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम जैतपुरा खींची तहसील आमेर के खसरा नं. 940 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नं. 941 रकबा 0.6200 हैक्टे. किता 02 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर में से 5000 वर्गमीटर के स्थान पर 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया चूंकि प्रकरण ग्राम परिवर्तन हो गया है एवं वर्तमान में नवीन आवंटन नीति–2015 प्रभावी है। अतः विभाग को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन हेतु उनके द्वारा चाहे अनुसार खसरा नं. 940 व 941 में से 1000 वर्गमीटर भूमि वर्तमान कृषि भूमि की डीएलसी दर + 20 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन किया जावे। विभाग द्वारा पूर्व में जमा कराई गई राशि का समायोजन नवीन मांग राशि में किया जावे।
14.	11	140:14	श्री गणपत सिंह, कालू सिंह पुत्रान श्री नन्द सिंह को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 226 का आवंटित क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार 46.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल कम होने के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 139वीं बैठक दिनांक 30.10.17 में श्री गणपत सिंह, कालू सिंह पुत्रान श्री नन्द सिंह को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 226 क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर में कम रहे क्षेत्रफल 46.50 वर्गमीटर का समायोजन करते हुये योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 50 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अधिक भूमि 3.50 वर्गमीटर की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया था। चूंकि प्रकरण में दिनांक 16.07.14 की लॉटरी द्वारा आवेदक को भूखण्ड संख्या 125–ए क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का आवंटन कर दिया गया था। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में लिये गये निर्णय में लॉटरी के स्थान पर उक्त भूखण्ड संख्या 125–ए के आवंटन प उक्त भूखण्ड में बढ़े हुये क्षेत्रफल 3.50 वर्गमीटर की राशि वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से वसूल करने का निर्णय लिया गया।

सचिव उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
15.	11	140:14(1)	सुश्री उमंग वर्मा को निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना गोविन्द विहार प्राईम की ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. का भूखण्ड संख्या एल–1 क्षेत्रफल 105.11 वर्गमीटर भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि सुश्री उमंग वर्मा को निजी खातेदारी की योजना गोविन्द विहार प्राईम में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के भूखण्ड संख्या एल/1 क्षेत्रफल 105.11 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड एल.आई.जी. हेतु निर्धारित 90 वर्गमीटर से अधिक हो रहा है। अतः उपायुक्त द्वारा 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर जोन की आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड अनुमोदित मानचित्र में भी 105.11 वर्गमीटर का ही है। जिसे एल.आई.जी. श्रेणी में डाला हुआ है। उक्त भूखण्ड पर एल.आई.जी. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर लागू नहीं होगी। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड पर प्रभावी श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
16.	14	140:14(2)	अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. वि. परियोजना खण्ड–I (दक्षिण) राजस्थान, जयपुर को ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 629 में से 3646 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. वि. परियोजना खण्ड–I (दक्षिण) राजस्थान, जयपुर को ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 629 (चाही–3 रकबा 0.29 हैक्टेयर जाव–3 रकबा 0.24 हैक्टेयर) में से 3646 व.मी. भूमि बगरू विधानसभा क्षेत्र के 135 ग्रामों में बीसलपुर पाईप लाईन से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आई.पी.एस./पम्पिंग स्टेशन/सी.डब्ल्यू.आर./ई.एस.आर. के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला के खसरा नं. 629 में से 3646 व.मी. भूमि (1000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण) निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
17.	11	140:14(3)	सरपंच, ग्राम पंचायत महापुरा को ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर में श्मशान हेतु भूमि सेट–अपार्ट करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत महापुरा को ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1 क्षेत्रफल 2.63 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर श्मशान हेतु भूमि सेट–अपार्ट करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के खसरा नं. 1 में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त ग्राम पंचायत को कब्जा देते समय भूमि के Coordinates अंकन करें।
18.	PRN (S-II)	140:14(4)	श्रीमती पल्लवी स्वामी को योजना सुखिजा विहार–ए में भूखण्ड संख्या 81 के सामने 24 मीटर सेक्टर सड़क व भूखण्ड के मध्य मौके की वर्तमान की यातायात सडक के भू–भाग क्षेत्रफल लगभग 38.26 वर्गमीटर भूमि को आवंटन करने अथवा नहीं	उपायुक्त जोन–पीआरएन (दक्षिण–II) द्वारा श्रीमती पल्लवी स्वामी को योजना सुखिजा विहार–ए में भूखण्ड संख्या 81 के सामने 24 मीटर सेक्टर सड़क व भूखण्ड के मध्य मौके की वर्तमान की यातायात सडक के भू–भाग क्षेत्रफल लगभग 38.26 वर्गमीटर भूमि को आवंटन करने अथवा नहीं करने के निर्णयार्थ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एलपीसी की 135वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भूखण्डधारी 81 द्वारा अनुमोदित मानचित्र सुखिजा विहार–ए अनुसार प्रस्तावित 24 मीटर सेक्टर सडक पर किसी प्रकार का

2– 8/1–
प्रति० आयुक्त (पू.पी.मा.)
[illegible] प्राधिकरण, जयपुर

			करने बाबत।	अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं उक्त 24 मीटर सेक्टर सडक की सीमा में आ रहे सभी अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में अधिशाषी अभियंता द्वारा मौके पर 24 मीटर सेक्टर सडक में आ रहे अतिक्रमणों को चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एजेण्डा नोट के अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। उक्त भूमि अनुमोदित मानचित्र अनुसार खसरा नं. 465 की भूमि है किन्तु उक्त भू–भाग योजना क्षेत्र में शामिल नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 38.26 वर्गमीटर को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की सैद्धान्तिक सहमति दी गई। प्रकरण में पट्टा जारी करने की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
19.	13	140:14(5)	जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) को पुलिस थाना, चौंमू हेतु राजस्व ग्राम चौंमू तहसील चौंमू के खसरा नं. 6859 में आवंटित 1500 वर्गमीटर भूमि को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के नाम करने बाबत।	एलपीसी की 67वीं बैठक दिनांक 28.06.10 में पुलिस थाना, चौंमू हेतु राजस्व ग्राम चौंमू तहसील चौंमू के खसरा नं. 6859 में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 11.09.13 से निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) के नाम आवंटन पत्र दिनांक 27.11.13 व कब्जा पत्र दिनांक 24.11.17 को जारी किया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के पत्र दिनांक 30.11.17 में उक्त भूमि का पट्टा उनके नाम जारी करने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुलिस थाना, चौंमू के संशोधित आवंटन पत्र, कब्जा पत्र व पट्टा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के नाम जारी करने का निर्णय लिया गया।
20.	10	140:14(6)	ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर में खड्डा बस्ती से पुनर्वासित परिवारों के लिये मस्जिद हेतु सेट अपार्ट करने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा खड्डा बस्ती से पुनर्वासित परिवारों के लिये ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर के खसरा नं. 1543 रकबा 14 बिस्वा भूमि मस्जिद हेतु सेट अपार्ट करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर के खसरा नं. 1543 रकबा 14 बिस्वा भूमि मस्जिद हेतु आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर

14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

3/8/21

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 140वीं बैठक दिनांक 04.12.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री एच. गुईटे, सचिव	सदस्य
3.	श्री हृदेश कुमार जुनेजा, निदेशक(वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
5.	श्री उज्ज्वल राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–4	विशेष आमंत्रित
7.	श्री मनीष फौजदार, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
8.	डॉ. सत्यप्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
10.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–9 व 14	विशेष आमंत्रित
11.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
13.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमति एकता काबरा, उपायुक्त पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर